

ब्यूज टुडे

IMF के अनुसार स्टेबलकॉइन्स केंद्रीय बैंक के नियंत्रण को कमजोर कर सकते हैं और मुद्रा प्रतिस्थापन को बढ़ा सकते हैं

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक नए पेपर ने स्टेबलकॉइन्स की तेजी से हो रही वृद्धि, उनसे जुड़े जोखिमों और निहितार्थों का विश्लेषण किया है।

स्टेबलकॉइन्स के बारे में

- परिचय: ये ऐसी क्रिप्टो परिसंपत्तियां (Crypto Assets) हैं, जिनका मूल्य किसी फ़िएट मुद्रा (जैसे- डॉलर) के मुकाबले स्थिर होता है। यह विशेषता उन्हें बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी अत्यधिक अस्थिर व गैर-समर्थित (unbacked) क्रिप्टो परिसंपत्तियों से अलग करती है।
- जारीकर्ता: इन्हें आमतौर पर क्रिप्टो फर्मों या वित्तीय संस्थाओं जैसी केंद्रीकृत संस्थाओं द्वारा जारी व संचालित किया जाता है।
- उपयोग:
 - इन्हें मूल रूप से क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक सेतु के रूप में डिज़ाइन किया गया था। अब इनका उपयोग सीमा-पार भुगतान और विप्रेषण (Remittances) में भी बढ़ रहा है।
 - स्टेबलकॉइन्स एसेट टोकनाइजेशन की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा हैं। एसेट टोकनाइजेशन का अर्थ है एक प्रोग्रामेबल लेज़र पर परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करना।
 - इनमें भुगतान प्रणालियों को कुशल बनाने की क्षमता है।

स्टेबलकॉइन्स से जुड़े जोखिम

- रन जोखिम: यदि उपयोगकर्ताओं का विश्वास गिरता है, तो इन्हें बड़े पैमाने पर भुनाया (Redemption) जाएगा। इससे आरक्षित परिसंपत्तियों (जैसे अमेरिकी ट्रेजरी बिल) की फायर सेल्स (बहुत कम कीमतों पर तुरंत बिक्री) हो सकती है। इसके कारण बाजार की व्यापक कार्य-प्रणाली प्रभावित हो सकती है।
- मुद्रा प्रतिस्थापन: जिन देशों में उच्च मुद्रास्फीति या कमजोर संस्थान हैं, वहां विदेशी-मूल्यवर्ग के स्टेबलकॉइन्स को व्यापक रूप से अपनाने से मौद्रिक संप्रभुता कम हो सकती है। साथ ही, घरेलू मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता कमजोर हो सकती है।
- मध्यवर्तियों के रूप में बैंकों की भूमिका घटना: ये बैंकों के स्थिर वित्त-पोषण स्रोतों को कम कर सकते हैं। इससे उनकी ऋण देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- वित्तीय अखंडता: ब्लॉकचेन लेन-देन की छद्म-नाम प्रकृति (Pseudonymity) धन शोधन (money laundering) और आतंकवाद के वित्त-पोषण जैसे जोखिम पैदा करती है।

आगे की राह

- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) को बढ़ावा देना: CBDCs एक विनियमित ढांचे के भीतर कार्य करती हैं। इस प्रकार, ये उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करती हैं। इनके विपरीत, कुछ स्टेबलकॉइन्स के मामले में विनियामक निरीक्षण की कमी होती है।
- सूक्ष्म-वित्तीय सुरक्षा उपायों का विकास: मुद्रा प्रतिस्थापन, अस्थिर पूंजी प्रवाह और भुगतान विखंडन जैसे मुद्दों के लिए ये उपाय जरूरी हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और विश्व में विनियामक कार्यान्वयन में समन्वय: विनियमन में विखंडन से लाभोन्मुख व्यापार अंतरपणन (arbitrage) हो सकता है, जहां जारीकर्ता कमजोर निरीक्षण वाले अधिकार क्षेत्रों में चले जाते हैं।
 - लाभोन्मुख व्यापार अंतरपणन (arbitrage): (व्यापार में) किसी वस्तु उदाहरण के लिए- विदेशी मुद्रा को, किसी स्थान पर खरीदकर उसे किसी अन्य स्थान पर बेचने की प्रथा, जहां उसकी कीमत अधिक हो।

राष्ट्रपति ने उत्तरी गोवा के नाइट क्लब में हुई आगजनी की दुर्घटना में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2023 के दौरान देश में आगजनी की दुर्घटनाओं के कुल 7,054 मामले दर्ज किए गए थे। इनके परिणामस्वरूप 6,891 मौतें हुई थीं।

- इनमें से 50% से अधिक घटनाएं आवासीय भवनों/ निवास स्थानों में दर्ज की गई थीं।

भारत में आगजनी के लिए उत्तरदायी कारक

- प्राकृतिक कारक: उष्ण व शुष्क जलवायु, प्रचलित पवनें, भूकंपीय सुभेद्यता आदि।
 - उदाहरण के लिए- वर्ष 2023 में कोच्चि में ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में अत्यधिक गर्मी के कारण आगजनी की घटना।
- डिज़ाइन और घनत्व: ऊंची इमारतों का अधिक घनत्व; निम्नस्तरीय व अवैध निर्माण; निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का उपयोग आदि।
 - उदाहरण के लिए- वर्ष 2004 में ज्वलनशील सामग्री के उपयोग के कारण तमिलनाडु के कुंभकोणम स्कूल में आगजनी की घटना।
- अपर्याप्त अनुपालन: फायर एग्जिट की कमी, संकरी सीढ़ियां आदि।
 - उदाहरण के लिए- वर्ष 2023 में मुखर्जी नगर (दिल्ली) के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना।
- सीमित संसाधन: वर्ष 2019 में आवश्यकता के विपरीत 5,191 फायर स्टेशनों और 5,03,365 कर्मियों की कमी थी।
- अन्य: जागरूकता की कमी; केंद्र द्वारा व्यवस्थित डेटासेट्स का अभाव, विद्युत की खराबी आदि।

आगे की राह

- तकनीकी एकीकरण: AI-आधारित जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए, घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल एप्लिकेशन बनानी चाहिए आदि।
- फायर स्टेशन की अनुकूल अवस्थिति: इनके लिए स्थान का चयन सड़क नेटवर्क और यातायात की वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
- सुरक्षित वित्त-पोषण की व्यवस्था: उदाहरण के लिए- उपकरण, अवसंरचना आदि के उन्नयन हेतु 'अग्नि कर' की शुरुआत करनी चाहिए।
- अनुपालन सुनिश्चित करना: अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOCs) स्वीकार करने से पहले उचित जांच करनी चाहिए; लाइसेंस स्वीकृत करने में शामिल अधिकारियों के लिए जवाबदेही तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना: उदाहरण के लिए- चीन द्वारा सख्त अग्निशमन प्रवर्तन और निवासियों को जोखिमों एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए समुदाय-आधारित आगजनी रोकथाम कार्यक्रम।

भारत में मौजूदा अग्नि सुरक्षा विनियम

- संवैधानिक प्रावधान: अग्निशमन सेवा राज्य सूची का विषय है और अनुच्छेद 243 के तहत 12वीं अनुसूची में शामिल है। इस प्रकार, यह नगरपालिकाओं के प्राधिकार को निर्दिष्ट करता है।
- राष्ट्रीय भवन संहिता (राज्यों के लिए अनिवार्य): इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने जारी किया है। यह इमारतों की अग्नि सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
- आदर्श भवन उप-नियम 2016: ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। ये राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करते हैं।
- राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना: यह 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत शुरू की गई है।

भारत के विदेश मंत्री (EAM) ने बहुधुवीय विश्व में सशक्त बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर दिया

बहुपक्षवाद (Multilateralism) क्या है?

- बहुपक्षवाद वह प्रक्रिया है जिसमें तीन या अधिक देश साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीतियों में समन्वय करते हैं।
- यह एकपक्षीयवाद (Unilateralism) और द्विपक्षवाद (bilateralism) के सिद्धांतों से अलग है।
 - एकपक्षीयवाद में राष्ट्र केवल अपना हित साधने के लिए अकेले कार्य करता है, वहीं द्विपक्षवाद केवल दो देशों के बीच पारस्परिक सहयोग है।
- बहुपक्षवाद का उद्भव और विकास: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी संस्थाओं के माध्यम से।

बहुपक्षवाद का महत्व

- यह दूरसंचार, विमानन, उभरता AI शासन जैसे क्षेत्रों के लिए वैश्विक मानक तैयार करता है। ये मानक आधुनिक जीवन-शैली को संभव बनाते हैं।
- शांति और सुरक्षा बनाए रखता है: ऐसा संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना, और शस्त्रों के गलत हाथों में जाने से रोककर करता है। इस सिद्धांत को शीत युद्ध के दौरान तीसरे विश्व युद्ध को टालने का श्रेय भी दिया जाता है।
- विश्व में लोगों के साझा कल्याण यानी ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए कार्य करता है। जैसे कि यह जलवायु परिवर्तन, महामारी और गैर-विनियमित AI से निपटने, तथा आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करता है।
- मुक्त व्यापार और मौद्रिक प्रणालियों के माध्यम से वैश्वीकरण की सफलता और निर्धनता के उन्मूलन में योगदान देता है।

बहुपक्षवाद के समक्ष संकट

- संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन-रूस जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं को पंगु बना दिया है। इससे वैश्विक शासन प्रणाली का कई प्रतिस्पर्धी समूहों में विभाजन का खतरा बढ़ गया है।
- पुरानी संस्थाएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं: उदाहरण के लिए—सुरक्षा परिषद में यूरोप का अधिक प्रतिनिधित्व है जबकि ग्लोबल साउथ का कम प्रतिनिधित्व है। इससे इसके निर्णयों को पक्षपाती माना जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का एकपक्षीयवाद और संरक्षणवाद: “अमेरिका फर्स्ट” की नीति, टैरिफ युद्ध, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता से बाहर निकलना जैसे क्रदमों से बहुपक्षवाद और अमेरिका पर विश्वास कम हुआ है।
- ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे वैकल्पिक संगठनों का उदय: ये संगठन अधिक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक बहुधुवीय व्यवस्था की वकालत करते हैं तथा विकासशील देशों की आवाज़ को सशक्त बनाते हैं।

आगे की राह

- सहयोग और संपर्क आधारित बहुपक्षवाद: संयुक्त राष्ट्र को यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।
- बहु-हितधारक से संपर्क आधारित दृष्टिकोण अपनाना: वैश्विक मुद्दों पर नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी), निजी क्षेत्र, तथा रेड क्रॉस/रेड क्रिसेंट मॉडल जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रसार वाली संस्थाओं के साथ परिचर्चा करनी चाहिए।
- “नया ब्रेटन वुड्स” की आवश्यकता: डिजिटल माध्यम से व्यापार, AI जोखिम से सुरक्षा, जलवायु वित्त-पोषण जैसी 21वीं सदी की समस्याओं से निपटने के लिए मौजूदा तंत्रों में केवल आंशिक बदलाव की जगह व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है।
- उपनिवेशवाद-पश्चात युग में पुनर्संतुलन की आवश्यकता: वास्तविक बहुधुवीयता “सशक्त बहुपक्षवाद” से सुनिश्चित होगी।
 - यह एक-दूसरे का सम्मान करने और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित होना चाहिए।
 - साथ ही, इसे विउपनिवेशीकरण (Decolonisation) के अधूरे कार्य को भी पूरा करना चाहिए।

भारतीय पंथनिरपेक्षता बहुलवाद की रक्षा है, धर्मों का दमन नहीं

पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म से अलग है, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और किसी भी आस्था का पक्ष लिए बिना समान नागरिकता सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय पंथनिरपेक्षता की विशेषताएं

- सभी धर्मों का समान आदर: भारत किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, जैसा कि ईरान और पाकिस्तान विशिष्ट संप्रदायों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।
- सिद्धांतगत दूरी: भारत आवश्यकता अनुभव होने पर धर्म से जुड़ाव रखता है, न कि चीन की भांति धार्मिक प्रथाओं का दमन करता है।
- धर्म की स्वतंत्रता: भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार लोग अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं।
- धर्म गुरुओं का राजनीति से अलगाव: भारत की मान्यता है कि पुरोहित वर्ग सरकार नहीं चला सकते हैं। इसके विपरीत, ईरान जैसे देशों में धर्म गुरु महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करते हैं।
- सुधारवादी दृष्टिकोण: राज्य धर्मों के भीतर कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए अस्पृश्यता या भेदभाव जैसी हानिकारक प्रथाओं को विनियमित कर सकता है।

भारतीय और पश्चिमी पंथनिरपेक्षता के बीच अंतर

आधार	भारतीय पंथनिरपेक्षता	पश्चिमी पंथनिरपेक्षता
अलगाव की प्रकृति	सिद्धांतगत दूरी बनाए रखती है— न्याय और सुधार के लिए आवश्यकता अनुभव होने पर राज्य धर्म के साथ जुड़ाव रख सकता है।	सख्त अलगाव बनाए रखती है— धर्म को राज्य के मामलों से पूरी तरह से बाहर रखा जाता है।
दृष्टिकोण	पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा: अर्थात् सभी धर्मों के लिए समान आदर (सर्वधर्म समभाव)।	पंथनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा: अर्थात् धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव।
धर्म की सार्वजनिक भूमिका	धर्म सार्वजनिक स्थानों में मौजूद और अभिव्यक्त हो सकता है।	धर्म मुख्यतः निजी दायरे तक सीमित रहता है।
राज्य का हस्तक्षेप	राज्य अधिकारों का उल्लंघन करने वाली धार्मिक प्रथाओं को विनियमित कर सकता है/ सुधार सकता है।	राज्य आम तौर पर धर्म में हस्तक्षेप करने से बचता है।
उद्देश्य	समानता को बढ़ावा देना, विविधता की रक्षा करना, और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना।	राजनीति पर धार्मिक प्रभाव को रोकना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना।
उदाहरण	भारत	फ्रांस (लैसिटे/ Laïcité), संयुक्त राज्य अमेरिका आदि।

10वीं अनुसूची में संशोधन हेतु लोक सभा में गैर-सरकारी विधेयक पेश किया गया

इस विधेयक का उद्देश्य सांसदों को विधेयकों और प्रस्तावों पर मतदान के दौरान अपने राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से अपने मत देने की अनुमति देना है।

इससे कानून-निर्माण की बेहतर प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और सांसदों को 10वीं अनुसूची के तहत लागू “व्हिप-आधारित निरंकुशता” (Whip-driven tyranny) से मुक्ति मिलेगी। 10वीं अनुसूची के तहत व्हिप लागू करने की आवश्यकता क्यों है?

गैर-सिद्धांतवादी या अनैतिक दलबदल को रोकना: वर्ष 1985 से पहले सांसदों या विधायकों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए बार-बार राजनीतिक दल बदलना सामान्य घटना हो गई थी। इसे ‘आया राम-गया राम’ राजनीति की संज्ञा दी गई।

निर्वाचित प्रतिनिधियों को धन, पद या अन्य प्रकार के लाभ की लालच देकर लुभाने की प्रक्रिया को “राजनीतिक दल-बदल (हॉर्स ट्रेडिंग)” कहते हैं।

राजनीतिक और सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना: बार-बार होने वाले दल-बदल के कारण बिना नए निर्वाचन कराए कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सरकारें गिर जाती थीं। इससे जनमत का अपमान होता था।

राजनीतिक दल में अनुशासन को बढ़ावा देना: बजट प्रस्ताव, विश्वास मत, महत्वपूर्ण विधेयकों पर परिचर्चा या मतदान के दौरान किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को एकजुट होकर सहयोग करने की आवश्यकता होती है।

व्हिप की आलोचना क्यों होती है?

प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र को कमजोर करना: निर्वाचित प्रतिनिधि सदन में किसी मुद्दे पर अपनी अंतरात्मा या अपने मतदाताओं की भावना के अनुसार मतदान नहीं कर पाते।

विरोध के स्वर को दबाना: आलोचकों का तर्क है कि व्हिप सांसदों को राजनीतिक दल के नेतृत्वकर्ता का “रबर-स्टॉप” बना देता है। साथ ही, यह विचार-विमर्श आधारित परिचर्चा को कमजोर करता है।

यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त “वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” के मूल अधिकार को भी कमजोर करता है।

सरकार की अस्थिरता रोकने में विफल: 2022 के महाराष्ट्र विधानसभा के मामले जैसे उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्हिप के प्रावधान के बावजूद दलबदल, हॉर्स ट्रेडिंग और कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार का गिरना जारी है।

व्हिप के बारे में

व्हिप: यह राजनीतिक दलों द्वारा अपने सांसदों/विधायकों को निर्धारित रूप के अनुसार मतदान करने का निर्देश होता है।

10वीं अनुसूची के तहत सदस्यता समाप्ति का एक आधार: यदि कोई निर्वाचित सदस्य संसद या विधानसभा में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों (व्हिप) के खिलाफ जाकर मतदान करता है, तो सदन की उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।

10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।

व्हिप की स्थिति: इसका न तो संविधान में, और न ही किसी संसदीय कानून में उल्लेख है।

170वें विधि आयोग की रिपोर्ट: व्हिप केवल उन्हीं अवसरों पर जारी किया जाना चाहिए “जब किसी विषय पर मतदान से सरकार का अस्तित्व खतरे में हो।”

अन्य सुर्खियां



सल्फर गुफाएं

वैज्ञानिकों ने ग्रीस और अल्बानिया की सीमा पर स्थित एक सल्फर गुफा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मकड़ी का जाला और स्पाइडर मेगासिटी की खोज की।

यह खोज मकड़ियों के एकल व्यवहार के बारे में बनी धारणाओं को चुनौती देती है और दिखाती है कि वे सामाजिक प्रवृत्तियां प्रदर्शित कर सकती हैं तथा यहां तक कि सहकारी कॉलोनिया भी बना सकती हैं।

यह कॉलोनी केवल 2 प्रजातियों से बनी है- सामान्य घरेलू मकड़ी और शीट-वीवर मकड़ी।

सल्फर गुफा के बारे में

सल्फ्यूरिक एसिड गुफाएं तब बनती हैं, जब सल्फ्यूरिक एसिड युक्त भूजल चट्टान के संपर्क में आता है। इससे चट्टान में एक रिक्त स्थान बन जाता है।

आमतौर पर सूक्ष्मजीवी क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देती है, जो फिर चट्टान को घोल देती है।

यहां का जीवन सूर्य के प्रकाश की बजाय, सल्फर झरनों से संचालित होता है, जो बैक्टीरिया और घने मिज (मकड़ियों का मुख्य भोजन) के झुंड को पोषित करते हैं।

मिज (midge): ये मच्छर जैसे उड़ने वाले कीड़े होते हैं।



अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

IAEA ने पुष्टि की है कि यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु आपदा स्थल के चारों ओर लगे सुरक्षा कवच ने झोने हमलों में क्षतिग्रस्त होने के बाद काम करना बंद कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में

मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)।

स्थापना: 1957 में संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में।

सदस्य: 180 (भारत इसका सदस्य है)।

शासनादेश: यह देशों को परमाणु प्रौद्योगिकी का सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने में मदद करता है; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है; सख्त परमाणु सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देता है, और यह सत्यापित करता है कि परमाणु सामग्री का उपयोग हथियारों के लिए तो नहीं किया जा रहा है।

इसके अधिकार क्षेत्र में सैन्य प्रतिष्ठान शामिल नहीं हैं। जिन देशों (जैसे भारत, पाकिस्तान और इजरायल) ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) को नहीं अपनाया है, उन पर अपनी सभी परमाणु सामग्री को IAEA के सुरक्षा घेरे में रखने का दायित्व नहीं है।

मान्यता: इसे शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार (2005) से सम्मानित किया गया है।



शांति और समृद्धि के लिए वाशिंगटन एकाईस

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और रवांडा के बीच शांति व समृद्धि के लिए वाशिंगटन एकाईस पर हस्ताक्षर किए गए।

पृष्ठभूमि: रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने पूर्वी DRC में नए हमले शुरू किए थे, जिससे विस्थापन और क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था।

एकाईस के बारे में

उद्देश्य: इन दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करना और खनिज समृद्ध पूर्वी DRC क्षेत्रों जैसे कटंगा, किबु, इटुरी आदि में स्थायी शांति सुनिश्चित करना।

DRC अपने खनिजों जैसे तांबा व कोबाल्ट, टिन, टंगस्टन, टैंटलम, सोना और हीरों के लिए जाना जाता है।

यह विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक है, (वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का 70%)।



श्योक सुरंग

रक्षा मंत्री ने लद्दाख में श्योक सुरंग सहित 125 सीमा अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

श्योक सुरंग के बारे में

- स्थान: यह पूर्वी लद्दाख में दुरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DS-DBO) रोड पर स्थित है।
- यह सड़क लेह को चीन सीमा (LAC) के पास स्थित उच्च ऊंचाई वाली दौलत बेग ओल्डी (DBO) सैन्य चौकी से जोड़ती है।
- विशेषताएं: सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित 920 मीटर लंबी कट-एंड-कवर सुरंग।
- महत्त्व: यह अत्यधिक हिमपात, हिमस्खलन और चरम तापमान वाले क्षेत्रों में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।



UNSC संकल्प 2803

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने संकल्प 2803 को अपनाया। यह संकल्प गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित व्यापक योजना का समर्थन करता है।

संकल्प 2803 के बारे में

- शांति बोर्ड (BoP) की स्थापना: यह फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा सुधार किए जाने तक गाजा के पुनर्विकास की देखरेख के लिए एक संक्रमणकालीन निकाय के रूप में कार्य करेगा।
- मानवीय सहायता: यह सहायता के दुरुपयोग को रोकने और उसका शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ गाजा में सहायता फिर से शुरू करने का आह्वान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF): यह गाजा को सुरक्षित करने, विसैन्यीकरण में सहायता करने, नागरिकों की रक्षा करने और इजरायल, मिस्र एवं फिलिस्तीनी पुलिस के साथ कार्य करने के लिए एक अस्थायी बल को अधिकृत करता है।



NATGRID (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड)

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) को गति मिल रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को एक महीने में 45,000 अनुरोध मिले हैं।

NATGRID के बारे में

- NATGRID गृह मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह पुलिस और जांच एजेंसियों हेतु एक आईटी प्लेटफॉर्म है। यह आतंकवाद से निपटने के लिए वास्तविक समय में सरकारी और निजी डेटाबेस तक सुरक्षित रूप से पहुंच प्राप्त करता है।
- उपयोगकर्ता: 11 केंद्रीय एजेंसियां (IB, RAW, DRI, ED आदि) और राज्य पुलिस।
- राज्यों में पुलिस अधीक्षक (SP) रैंक के अधिकारी NATGRID का उपयोग कर सकते हैं।
- दायरा: यह ड्राइविंग लाइसेंस, आधार पंजीकरण, एयरलाइन डेटा, बैंक रिकॉर्ड, और किसी विशेष मुद्दे पर पोस्ट साझा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के विवरण तक भी पहुंच की अनुमति देता है।



जेल सुधार

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सुधारात्मक कार्यों पर बात की और चार “विचारशील प्रस्ताव” सुझाए।

CJI द्वारा प्रस्तुत चार प्रस्ताव

- जेल प्रशिक्षण को “कल की अर्थव्यवस्था” के साथ संरेखित करना चाहिए। कैदियों को डिजिटल दक्षता, लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञता और आधुनिक व्यावसायिक कौशल से सुसज्जित किया जाना चाहिए।
- गहन उद्योग सहयोग- एक ऐसे मॉडल का प्रस्ताव करना जहां कंपनियां जेलों को “गोद लें”, कैदियों को अप्रेंटिसशिप प्रदान करें, और अंततः प्रशिक्षित कैदियों की भर्ती करें।
- यूनाइटेड किंगडम की तरह दोषियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (चिप-आधारित ट्रैकिंग) लागू करनी चाहिए।
- भारत में अधिक खुली जेलों का विस्तार और निर्माण करना चाहिए।
- डेटा-संचालित पुनर्वास ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।



हिन्दू वृद्धि दर

प्रधान मंत्री ने “हिन्दू वृद्धि दर” अभिव्यक्ति की आलोचना की। इसने पहले के दशकों में भारत के मंद आर्थिक प्रदर्शन को लोगों की आस्था और पहचान से जोड़ा था।

हिन्दू वृद्धि दर

- यह पदावली 1978 में अर्थशास्त्री राज कृष्णा द्वारा रचा गया था।
- इसका उपयोग स्वतंत्रता के बाद, मुख्य रूप से 1950 के दशक से 1980 के दशक तक भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि का वर्णन करने के लिए किया गया था। उस अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में प्रति वर्ष केवल लगभग 3.5-4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- इस पदावली के अनुसार यह धीमी वृद्धि “हिंदू जीवन शैली” से आई है, जिसका तात्पर्य भाग्य को स्वीकार करने या थोड़े में संतुष्ट रहने की सांस्कृतिक आदत से है।

सुर्खियों में रहे स्थल



बेनिन (राजधानी: पोर्टो-नोवो)


हाल ही में, कॉन्टोनौ में सैनिकों के एक समूह (मिलिट्री कमेटी फॉर रिफाउंडेशन) द्वारा तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया गया। कॉन्टोनौ बेनिन का सबसे बड़ा शहर और शासन केंद्र है।

भौगोलिक अवस्थिति

- भूमि सीमाएं: नाइजर, नाइजीरिया, टोगो और बुर्किना फासो (मानचित्र देखिए)।
- समुद्री सीमाएं: दक्षिण में, इसकी तटरेखा बाइट ऑफ बेनिन (गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर का हिस्सा) पर है।

भौगोलिक विशेषताएं

- मुख्य पठार: इसका रेतीला तटीय क्षेत्र ला टेरे डी बारे पठार में बदल गया है।
- मुख्य पर्वत: अटाकोरा पर्वत (उत्तर-पश्चिम), जो टोगो पर्वत की एक शाखा है।
- सर्वोच्च बिंदु: माउंट सोकबारी।
- प्रमुख नदियां: नाइजर और



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची



सीकर